भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4436

30 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात और धातुओं की माँग

4436. श्री डी.के. सुरेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए इस्पात और धातुओं की माँग काफी अधिक होने वाली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात क्षेत्र के वर्तमान उत्पादन और विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय इस्पात और धातुओं के उत्पादन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के और विकास के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): तीव्र शहरीकरण से देश में इस्पात और धातुओं की माँग बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2019-20 के 102.62 एमटी उत्पादन की तुलना में वर्ष 2020-21 में तैयार इस्पात का उत्पादन 96.20 मिलियन टन (एमटी) था। विगत दो वर्षों में तैयार इस्पात का उत्पादन और माँग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मात्रा मिलियन टन में

मद	**2019-20**	**2020-21**
उत्पादन	102.62	96.20
खपत	100.17	94.89

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

(ग): वर्ष 2019-20 और 2021-22 में तैयार इस्पात और धातुओं के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मात्रा मिलियन टन में

वर्ष	**तैयार इस्पात**
2019-20	102.62
2020-21	96.20

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

मात्रा लाख टन में

वर्ष	एल्युमिनियम	परिष्कृत ताँबा	जस्ता	सीसा
2019-20	36.56	4.08	6.88	1.81
2020-21	36.16	3.64	7.15	2.14

स्रोत: खान मंत्रालय

(घ): सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. निम्नलिखित नीतियों की अधिसूचना:-

क. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और हाई-ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, विद्युत् इस्पात, विशेष इस्पात एवं मिश्र-धातु की समग्र मांग को घरेलु स्तर पर पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

ख. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

ग. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

घ. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

ङ. 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

ii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।

iii. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

iv. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ सहभागिता।

v. इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

****